सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 अग्रहायण, 1947 (श०)

संख्या - 517 राँची, सोमवार, 24 नवम्बर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

16 अक्टूबर, 2025

संख्या-5/आरोप-1-1/2022 का.--33392 (HRMS)-- श्री रवि किशोर राम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-389/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, खलारी, राँची के विरूद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-123, दिनांक 18.01.2022 के माध्यम से उपायुक्त, राँची के पत्रांक-149, दिनांक 03.02.2021 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री राम के विरूद्ध निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित है-

आरोप सं0-1- अपर समाहर्त्ता भू-हदबन्दी, राँची द्वारा इस मामले की जाँच पड़ताल राजस्व कागजातों एवं स्थल जाँच के आधार पर की गई, जाँचोपरांत उनके पत्रांक-54 भू0ह0/जि0ग्रा0, दिनांक 28.09.2020 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जाँच के पश्चात निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये है-

(i) प्राप्त परिवाद में उल्लेख किया गया है कि खलारी अंचल अंतर्गत बुकबुका ग्राम के खाता सं0-04 प्लॉट सं0-37, 46, 57 एवं 58 कुल रकवा 1.59 ए0 की लगान रसीद एक साथ वर्ष 1990 से 2020 तक कुल 30 वर्षों का ऑनलाईन लगान रसीद श्री बलदेव महतो के नाम से निर्गत किया गया। निर्गत ऑनलाईन रसीद में भो0 सं0-01 पृष्ठ सं0-05 दर्ज है, परन्तु बुकबुका मौजा के मुल पंजी-II के अनुसार भो0

सं0-01 पृष्ठ सं0-05 में खाता सं0-04 प्लॉट सं0-37, 46, 57 एवं 58 दर्ज नहीं है। इस पृष्ठ में प्लॉट सं0-19, 24 एवं अन्य प्लॉट जिसका रकबा 24.26ए0 भूमि ACC प्रा0 लि0 खलारी के नाम से दर्ज है। प्रथम दृष्टया उक्त निर्गत ऑनलाईन रसीद सं0 0369337670 बलदेव महतो को निर्गत की गई है, फर्जी प्रतीत होता है।

(ii) बुकबुका मौजा के मुल पंजी-II के भो0 सं0-01 पृष्ठ सं0-06 में खाता सं0-04/2 प्लॉट सं0-19,46 कुल रकवा 3.54 ए0 बिहार सरकार के नाम से दर्ज है जिसका ऑनलाईन प्रविष्टि भी सही दर्ज किया गया है।

(iii) बुकबुका मौजा के मुल पंजी-II के भो0 सं0-01 पृष्ठ सं0-52 में खाता सं0-04 प्लॉट सं0-57, 58, 48, 37, 3, 8 क्रमशः रकवा 03ए0, 0.38ए0, 0.48ए0, 0.20ए0, 2.71ए0, 0.34ए0 कुल रकवा 4.64ए0 भूमि बलदेव महतो पिता अकलू महतो के नाम से दर्ज है, परन्तु ऑनलाईन पंजी-II में उक्त पृष्ठ सं0-52 से संबंधित जमाबंदी अमृता देवी पिता-कैलाश ठाकुर एवं जानकी देवी पति दामोदर ठाकुर के नाम से दर्ज है। उक्त के संबंध में मूल पंजी-II, भो0सं0-01 के गहन जाँच के क्रम में पाया गया कि बलदेव महतो की जमाबंदी जो पंजी-II के पृष्ठ सं0-52 पर दर्ज किया गया है, वह प्रथम दृष्टया अलग पेन एवं अलग लिखावट का उपयोग कर विवरणी लिखा गया है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पृ0सं0-52 में जो पूर्व में जमाबंदी कायम थी उसे वहाँ से सावधानी पूर्वक हटाकर बलदेव के नाम से जमाबंदी कायम कर पृष्ठ सं0-52 के स्थान पर प्रति-स्थापित किया गया है। संबंधित पेज को जोड़ने का निशान भी स्पष्ट है।

(iv) इस प्रकार अंचल कार्यालय में संधरित पंजी-II, भो0सं0-01 एवं ऑनलाईन पंजी-II में विसंगति है, जिसका लाभ उठाकर रैयत के द्वारा स्थानीय राजस्व कर्मियों के मिलीभगत से लगान रसीद कटवाने में सफल हुए।

(v) इससे स्पष्ट होता है कि लगान रसीद प्राप्त करने हेतु एक सोची-समझी रणनीति के तहत कार्यालय में उपलब्ध पंजी-II में छेड़छाड़ कर स्थान बनाया गया, तदोपरांत उक्त का लाभ Online Entry में गलत प्रविष्टि कर लगान रसीद प्राप्त करने में रैयत सफल हुए।

आरोप सं0-2- श्री रवि किशोर राम, अंचल अधिकारी, खलारी का उक्त आचरण प्रथम दृष्टया पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(i), (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है।

2. उक्त आरोपों पर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय संकल्प संख्या-18756(HRMS), दिनांक 28.12.2022 द्वारा श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-145, दिनांक 18.10.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन में निम्नलिखित मुख्य तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(क) मामला संज्ञान में आने पर संलिप्त कर्मियों पर आवश्यक कार्रवाई किया गया एवं प्रासंगिक भूमि की जमाबंदी रद्द करने की तत्काल कार्रवाई करते हुए अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर राँची के पास भेजा गया।

(ख) उपस्थापन पदाधिकारी के द्वारा प्रासंगिक मामले में उपायुक्त, राँची के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये मंतव्य से सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही उक्त मामले में नियम विरूद्ध लगान

रसीद निर्गत होने का मामला प्रकाश में आने पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा कृत कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही को उचित/सही ठहराया गया।

(ग) बुकबुका मौजा के मुल पंजी-II के भो0 सं0-01 पृष्ठ सं0-06 में खाता सं0-04/2 प्लॉट सं0-19, 46 कुल रकवा 3.54 ए0 बिहार सरकार के नाम से दर्ज है जिसका ऑनलाईन प्रविष्टि भी सही दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में आरोपी पदाधिकारी श्री राम के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है।

(घ) श्री राम, तदेन अंचल अधिकारी, खलारी द्वारा अपने अधीनस्थों के विरूद्ध मामला के प्रकाश में आने पर कार्रवाई तो किया गया, परंतु अपने जिम्मेवारी का मात्र दोषारोपण उन पर किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(ङ) आरोपी पदाधिकारी श्री राम द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर को ैैीतम करना गंभीर लापरवाही का द्योतक है। अतः यह आरोप आरोपी पदाधिकारी श्री रवि किशोर राम, तदेन अंचल अधिकारी, खलारी सम्प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिमडेगा के विरूद्ध प्रमाणित होता है।

4. श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनका बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए इनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत् निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

5. उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1027, दिनांक 20.02.2024 द्वारा श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री राम के पत्र, दिनांक 25.02.2025 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया।

6. श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित जवाब के समीक्षोपरांत उनके द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं0-30128(HRMS), दिनांक 24.04.2025 द्वारा श्री राम के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत् निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

7. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री राम के पत्र, दिनांक 16.05.2025 द्वारा महामहिम राज्यपाल झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-1449, दिनांक 27.05.2025 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

8. श्री राम द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि अपील अभ्यावेदन में श्री राम के द्वारा पूर्व में विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान तथा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित जवाब के समरूप तथ्यों का उल्लेख किया गया है। अपील अभ्यावेदन में श्री राम द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उन्हें आरोप मुक्त किया जा सके।

9. समीक्षोपरांत, श्री राम द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-30128(HRMS), दिनांक 24.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड "निन्दन" को यथावत् रखने के प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव को दिनांक 24.09.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री रवि किशोर राम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-389/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, खलारी, राँची द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं0-30128(HRMS), दिनांक 24.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड "निन्दन" को यथावत् रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रवि किशोर राम, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	RAVI KISHORE RAM 110003181683	श्री रवि किशोर राम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-389/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, खलारी, राँची द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं0-30128(HRMS), दिनांक 24.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड "निन्दन" को यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 517 - 50